[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 46/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि...........(अ).-केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 94/96-सीमाशुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1996, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 569(अ) तारीख 16 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के किसी भी अध्याय के अन्तर्गत आने वाले और नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसे भारत में पुनः आयात किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, के उतने भाग से और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), (3), (5), (7) और (9) के अधीन क्रमशः उन पर समस्त उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क, एकीकृत कर, प्रतिकर उपकर, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्र. सं.	**माल का वर्णन**	**शर्तें**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	निम्नलिखित निर्यातित माल – (क) संघ द्वारा उद्ग्रहीत किसी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए दावे के अधीन	निर्यात के समय अनुज्ञात सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क की वापसी की रकम ;
	(ख) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत किसी उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए दावे के अधीन	निर्यात के समय अनुज्ञात माल के आयात के समय और स्थान पर राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की रकम ;
	(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रिबेट के लिए दावे के अधीन	निर्यात के समय अनुज्ञात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिबेट की रकम ;
	(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए बंध पत्र के अधीन	असंदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रकम ;

	(ङ) शुल्क छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी) के अधीन	माल के आयात के समय और स्थान पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क या एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर की रकम और ऐसे माल के लिए लागू निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन – (i) डीईईसी पुस्तिका अन्तिम रूप से बंद नहीं की गई है और प्रश्नगत निर्यात डीईईसी पुस्तिका से डी-लॉग किया गया है, अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए को मोचित नहीं किया गया है और प्राधिकार धारक को डीजीएफटी द्वारा निर्यात बाध्यता से उन्मोचित नहीं किया गया है । (ii) ईपीसीजी स्कीम के मामले में पूर्ण निर्यात निष्पादन की अवधि समाप्त नहीं हुई है और पुनर्आयात के बारे में आवश्यक पृष्ठांकन किए गए हैं । (iii) आयातकर्ता ने कारखाने, जहां माल विनिर्मित किया गया था या उन परिक्षेत्रों, जहां से माल प्रदाय किया गया था के भार साधक सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त को तथा पुनर्आयात के तथ्य के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी को पुनर्आयातित प्रेषण के ब्यौरे सूचित कर दिए थे तथा माल की निकासी के समय ऐसी सूचना की दिनांकित अभिस्वीकृति प्रस्तुत करता है । (iv) विनिर्माता - निर्यातक को आयात के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ निष्पादित किए जाने वाले अभिवहन बंध पत्र के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर के संदाय के बिना ऐसे माल की निकासी अनुज्ञात की जा सकेगी, ऐसा बंध पत्र उनके कारखाने या परिक्षेत्रों, जहां से माल का प्रदाय किया गया था, में पुनर्आयातित माल की प्राप्ति के बारे में अधिकारिता रखने वाले सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए जाने पर रद्द किया जाएगा ।
2.	माल, जो विदेश में मरम्मत के लिए निर्यात किए गए, क्रम संख्यांक 1 के अन्तर्गत आने वाले माल से भिन्न है	सीमा शुल्क, जो उद्ग्रहणीय होता, यदि मरम्मत के पश्चात्, पुनर्आयातित माल का मूल्य की गई मरम्मतों की उचित लागत, जिसके अन्तर्गत मरम्मत में उपयोग की गई सामग्री की लागत भी है (चाहे ऐसी लागत वास्तव में उपगत गई है या नहीं), दोनों तरफ से बीमा और भाड़ा प्रभार की भरपाई की गई थी ।
3.	विदेशी व्यापार नीति के पैरा 4क.20.1 में यथा विनिर्दिष्ट	ऐसा सीमा शुल्क, जो उद्ग्रहणीय होगा, यदि उपचार के पश्चात् पुनर्आयातित बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्न

	विदेशी उपचार के लिए निर्यात किए गए कर्तित और पॉलिशकृत बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्न, उनसे भिन्न, जो क्रम संख्यांक 1 के अन्तर्गत आते हैं”;	के मूल्य की, किए गए उपचार की उचित लागत, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपचार में उपयोग की गई सामग्री की लागत भी है, चाहे ऐसी लागत वास्तविक रूप से उपगत की गई है या नहीं, बीमा और भाड़ा प्रभार दोनों तरफ, की भरपाई की गई थी ।
4.	किसी विशेष आर्थिक जोन में वायुयान के अनुरक्षण मरम्मत या ओवरहाल करने के दौरान बदले गए या हटाए गए और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए वायुयान के पुर्जे संघटक । **स्पष्टीकरण**.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक जोन का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है ।	कुछ नहीं ।
5.	क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 4 के अन्तर्गत आने वाले माल से भिन्न माल ।	कुछ नहीं :

परंतु सहायक सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) भूटान के मामले में, शुल्क छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी) या ड्यूटी हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) या विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 की कोई पारितोषिक स्कीम के अधीन निर्यातित मशीनरी और उपस्कर से भिन्न मशीनरी और उपस्कर, उनके निर्यात के पश्चात् सात वर्ष के भीतर या तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विलम्ब के लिए पर्याप्त हेतु दर्शाए जाने पर, यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, पुनः आयात किए जाते हैं ;

(ख) अन्य सभी मामलों में, शुल्क छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी) या ड्यूटी हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) या विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 की कोई पारितोषिक स्कीम के अधीन निर्यातित माल से भिन्न माल, उनके निर्यात के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर या दो वर्ष से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विलम्ब के लिए पर्याप्त हेतु दर्शाए जाने पर, यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, पुनः आयात किए जाते हैं ;

(ग) शुल्क छूट स्कीम (डीईईसी/अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए) या निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम (ईपीसीजी) या ड्यूटी हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) या विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 3 की कोई पारितोषिक स्कीम के अधीन निर्यातित माल की दशा में, ऐसे माल का पुनः आयात, निर्यात के एक वर्ष के भीतर या एक वर्ष से अनधिक के भीतर विस्तारित ऐसी अवधि, जो विलम्ब के लिए पर्याप्त हेतु दर्शाए जाने पर, यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, किए जाते हैं ;

(घ) ऐसे माल वही हैं, जो निर्यात किए गए थे ;

(ङ) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के अन्तर्गत आने वाले माल की दशा में, ऐसे माल के निर्यात और उसके पुनः आयात के समय के बीच में माल के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ;

(च) सारणी की क्रम संख्यांक 1 और क्रम संख्यांक 3 के अन्तर्गत आने वाले माल की दशा में और जहां निर्यात किए गए माल का मूल्य निर्यात बाध्यता के पूरा किए जाने के लिए गणना में लिया गया था, वहां नामनिर्दिष्ट अभिकरणों से अभिप्राप्त निःशुल्क इनपुट पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क की रकम, सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट शुल्क की रकम के अतिरिक्त भी संदत्त की जाएगी यदि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 56/2000-सीमा शुल्क, तारीख 5 मई, 2000 [सा.का.नि 399(अ), तारीख 5 मई, 2000] और अधिसूचना संख्यांक 57/2000-सीमा शुल्क, तारीख 8 मई, 2000 [सा.का.नि 413(अ), तारीख 8 मई, 2000] के अधीन छूट ली गई होती ।

सारणी की क्रम संख्यांक 4 के अन्तर्गत आने वाले माल की दशा में, किसी विक्रय के बिना वायुयान के स्वामी को माल वापस लौटाया जाता है :

परंतु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित ऐसे पुनः आयात किए गए माल को लागू नहीं होगी.-

(क) जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन यथा परिभाषित मुख्य व्यापार जोन में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या यूनिट द्वारा निर्यात किया गया था;

(ख) जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 57 या 58 के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त या अनुज्ञप्त लोक भांडागार या प्राईवेट भांडागार से निर्यात किया गया था;

(ग) जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं।

2. यह अधिसूचना उन निर्यातों को लागू नहीं होगी जिनके लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 51 के अधीन निकासी और लदाई को अनुज्ञात करने वाला आदेश 30 जून, 2017 को या उसके पश्चात् दिया गया है ।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए –

(क) माल को उसी रूप में नहीं समझा जाएगा यदि इन्हें विदेश में गालन, पुनः चक्रण या पुनः ढलाई के माध्यम से पुनर्निर्माण या पुनर्संस्करण के अध्यधीन किए जाने के पश्चात् पुनः आयात किया जाता है ।

(ख) 'विदेश व्यापार नीति' से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 अभिप्रेत है जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक 01/2015-2020, तारीख 1 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(ग) 'नामांकित अभिकरण' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी);

(ii) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी);

(iii) राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) ;

(iv) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड (पीईसी);

(v) एसटीसीएल लिमिटेड;

(vi) एमएसटीसी लिमिटेड;

(vii) हीरक भारत लिमिटेड (डीआईएल);

(viii) रत्न और आभूषण सेक्टर से चार सितारा निर्यात हाउस और किसी ऐसे सेक्टर से, पांच सितारा निर्यात हाउस जो विदेशी व्यापार नीति के निम्नानुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरणों के रूप में मान्यताप्राप्त हो;

(ix) नामनिर्दिष्ट अभिकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्राधिकृत कोई बैंक ।"

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार